निर्णय व इजलास श्री विश्वजीत सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 19/2025
दायरा दिनांक :– 24.04.2025
निर्णय दिनांक :– 03/10/2025

उनवान

1. सीमा कंवर आयु 38 वर्ष पत्नी स्व श्री भूपेन्द्र सिंह हाडा जाति राजपूत निवासी ग्राम ठूंसरा तहसील बारां जिला बारां राज0

–प्रार्थीया

बनाम

1. भारत सिंह पुत्र श्री मोड सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ठूसरा तहसील बारां जिला बारां राज0
2. जनक कंवर पत्नी श्री भारत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ठूंसरा तहसील बारां जिला बारां राज0
3. नाबालिग विरांश सिंह हाडा पुत्र श्री योगेन्द्र सिंह जरिये संरक्षक दादा भारत सिंह पुत्र श्री मोडू सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ठूंसरा तहसील बारां जिला बारां राज0
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां
5. उपपंजीयक महोदय बारां जिला बारां

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 टी0 एक्ट
निर्णय दिनांक :– 03/10/2025

अभिभाषक उपस्थित : 1. श्री ओम भारद्वाज एड0 – प्रार्थीया
2. श्री अरविन्द सिंह हाडा एड0 – 01 ता 03

अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम ठूंसरा पटवार हल्का फूंसरा तहसील बारां की खाता संख्या नया 97 पुराना 89 मे वर्णित आराजियात खसरा नं0 514/278 रकबा 0.2876 हेक्टर, खसरा नं0 515/278 रकबा 0.8791 हेक्टर व खसरा नं0 517/276 रकबा 3.2571 हेक्टर व खसरा नं0 519/280 रकबा 0.7096 हेक्टर, खसरा नं० 521/377 रकबा 1.4302 हेक्टर, खसरा नं0 522/277 रकबा 0.6152 हेक्टर, खसरा नं0 523/277 रकबा 0.1385 हेक्टर कुल 7 किता कुल रकबा 7.3173 हेक्टर स्थित है। ग्राम ठूंसरा पटवार हल्का फूंसरा तहसील बारां की खाता संख्या नया 52 पुराना 48 मे

उप खण्ड अधिकारी
बारां

वर्णित आराजियात खसरा नं0 510/279 रकबा 4.2527 हेक्टर कुल 1 किता कुल रकबा 4.2527 हेक्टर स्थित है। जिसे आगे प्रार्थना पत्र मे विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है प्रार्थीया अप्रार्थी कम 1 व 2 की पुत्रवधु है तथा अप्रार्थी कम 3 प्रार्थीया के देवर का नाबालिग पुत्र है जिसकी संरक्षकता मुताबिक राजस्व रिकार्ड अप्रार्थी कम 1 के पास है। उपरोक्त वर्णित आराजियात प्रार्थीया व अप्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजियात है जो अप्रार्थी कम 1 व 2 को अपने पूर्वजो से प्राप्त हुई है। उपरोक्त विवादित आराजियात के मूल खातेदार धोकल सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह जी थे। जिन्हें उपरोक्त वर्णित आराजियात तत्कालीन शासको द्वारा माफी चाकरी धोडा हेतु दी गई थी। उक्त आराजियात के बन्दोबस्त से पूर्व साबिक खसरा नं0 240 रकबा 51 बीघा 2 बिस्वा खसरा नं0 314 रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 60 बीघा 1 बिस्वा थे। जिसके हाल सेटलमेन्ट अनुसार खसरा नं0 240 मिन के हाल खसरा नं0 277,278 तथा खसरा नं0 314 के 377 कायम किये गये। उक्त आराजियात पर धोकल सिंह जी काबिज काश्त रहे तथा दिनांक 01.07.1958 को माफी रिज्युम होने के समय राजस्व रिकार्ड मे धोकल सिंह जी का नाम दर्ज रहा। धोकल सिंह जी उक्त आराजियात पर काबिज काश्त थे तथा उनकी मृत्यु उपरान्त उक्त आराजियात अप्रार्थी कम 1 के नाम राजस्व रिकार्ड खातेदारी मे दर्ज हुई। इस कारण उपरोक्त सम्पति प्रार्थीया व अप्रार्थीगण की पैत्रिक सम्पति आराजियात है। जिसमे प्रार्थीया का अपने स्व० पति के हिस्से अनुसार हित निहित है। उपरोक्त आराजियात पर अप्रार्थी कम 1 व 2 का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होने के कारण अप्रार्थी कम 1 व 2 द्वारा उपरोक्त आराजियात को अपने दोनो पुत्रो भूपेन्द्र सिंह व योगेन्द्र सिंह के मध्य बाहमी विभाजन कर दोनो को अपने अपने हिस्से विभाजित कर दिये थे। तब से उपरोक्त विवादित आराजियात के 1/2 हिस्से पर प्रार्थीया के पति भूपेन्द्र सिंह काबिज काश्त रहे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात प्रार्थीया उक्त आराजियात के 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त चली आ रही है। मृत्यु उक्त विवादित आराजियात राजस्व रिकार्ड मे अप्रार्थी कम 1 व 2 का नाम दर्ज होने के कारण व प्रार्थीया के पति की मृत्यु हो जाने तथा प्रार्थीया के कोई संतान न होने के कारण अप्रार्थी कम 1 व 2 द्वारा अपनी पैत्रिक सम्पति से प्रार्थीया को मेहरूम रखने के उद्देश्य से राजस्व रिकार्ड मे अपना होने का गलत फायदा उठाकर प्रार्थीया के कब्जे काश्त की आराजियात को विधि विरूद्ध तरीके से अप्रार्थी कम 1 द्वारा अपने नाम की आराजियात अपने छोटे पुत्र योगेन्द्र सिंह के पुत्र बिरांश सिंह (अप्रार्थी कम 3) के नाम नुमाईशी दान पत्र द्वारा दान कर दी गई है। उक्त दान सब रजिस्ट्रार बारां के यहाँ दिनांक 20.06.2024 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 413 मे पृष्ठ संख्या 13 कम संख्या 202403116101672 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अति० पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1453 के पृष्ठ संख्या 163 से 176 पर चस्पा किया गया है। उक्त दान पत्र विधि विरूद्ध तरीके मात्र प्रार्थीया को अपने साम्पतिक अधिकारो से वंचित करने के उददेश्य से निष्पादित करवाया गया है जबकि विधि का यह सुस्थापित

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

सिद्धान्त है कि दान पत्र स्वयं को नही किया जा सकता है उक्त दान पत्र मे अप्रार्थी कम 1 द्वारा अप्रार्थी कम 3 को नुमाईशी दान पत्र किया गया है तथा अप्रार्थी कम 3 नाबालिग होने के कारण उसकी संरक्षकता भी अप्रार्थी कम 1 द्वारा ली गई है जबकि अप्रार्थी कम 3 का पिता योगेन्द्र सिंह जीवित है। इसके उपरान्त भी अप्रार्थी कम 1 द्वारा विधि विरूद्ध दान पत्र आलेखित करवाया है। उक्त दान पत्र को प्रार्थीया पैत्रिक सम्पति मे प्राप्त अपनें हक व हिस्से तक शून्य घोषित करवाने की अधिकारी एवं नालिसी है। प्रार्थना पत्र की चरण कम 1 मे ब भाग मे वर्णित आराजियात अप्रार्थी कम 2 को अपनी सास भंवर बाई से प्राप्त हुई है उक्त आराजियात भी पैत्रिक सम्पति है तथा अप्रार्थी कम 2 द्वारा अप्रार्थी कम 1 से मिलकर प्रार्थीया को अपने साम्पतिक अधिकारो से वंचित करने से राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम आयी आराजियात को खुद बुर्द करने पर आमादा है। अप्रार्थी कम 2 को पैत्रिक सम्पति को अपने हक से अधिक दान बैचान व अन्य प्रकार से मुक्तकिल करने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। इस कारण प्रार्थीया अप्रार्थी कम 2 को प्राप्त पैतृक सम्पति मे अपना हक व हिस्से आराजी की खातेदारी की घोषणा करवाने की वैधानिक अधिकारी एवं नालिसी है। उपरोक्त वर्णित आराजियात पैत्रिक सम्पति है जो तत्कालीन खातेदारान द्वारा अलग अलग दस्तावेजात के माध्यम से अप्रार्थी कम 1 व 2 को प्राप्त हुई है। वादी व अप्रार्थीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उत्तराधिकार विधि से शास्ति होते है। इस कारण प्रार्थीया उपरोक्त वर्णित आराजियात मे अपनें स्वर्गीय पति के हक व हिस्से तक अपने खातेदारी की घोषणा करवाने की वैधानिक अधिकारी एवं नालिसी है। अप्रार्थी कम 1 द्वारा अपने खातेदारी की आराजियात का नुमाईशी दान पत्र दिनांक 20.06.2024 को निष्पादित करवाया है इस कारण विवादित आराजियात के भाग अ मे अंकित आराजियात पर अप्रार्थी कम 3 का नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकित हो गया है उक्त अंकन संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम व सम्पति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानो के प्रतिकूल होने के कारण प्रार्थीया उक्त आराजियात मे से अप्रार्थी कम 3 का नाम अपने हक व हिस्से तक विलोपित करवाने की अधिकारी एवं नालिसी है। प्रार्थीया के पति भूपेन्द्र सिंह की मृत्यु दिनांक 21.03.2024 को हो जाने तथा प्रार्थीया के कोई संतान न होने के कारण अप्रार्थी कम 1 व 2 प्रार्थीया को अपने साम्पतिक अधिकारो से वंचित करना चाहते है तथा प्रार्थीया के पति की मृत्यु के बाद से ही प्रार्थीया को घरेलू हिंसा का शिकार बना रहे है प्रार्थीया के पति पर लगभग 40 लाख रूपये का कर्जा है तथा प्रार्थीया का समस्त जेवरात भी गिरवी रखा हुआ है। जिसकी किश्तो व अन्य कर्जा अदायगी प्रार्थीया द्वारा अपने स्व० पति भूपेन्द्र सिंह को बाहमी बंटवारे मे प्राप्त आराजियात से कर रही है। परन्तु अप्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड मे आराजियात अपने नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर प्रार्थीया को सम्पति से बैदखल कर अन्यत्र जगह मुन्तकिल करने पर आमादा है। इस कारण प्रार्थीया अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की वैधानिक अधिकारी एवं नालिसी है। अप्रार्थी कम 3 नाबालिग है जो मुताबिक राजस्व रिकार्ड अपने दादाजी भारत सिंह अप्रार्थी कम 1 की संरक्षणता मे है।

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

चूँकि राजस्व रिकार्ड मे अप्रार्थी कम 3 का नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थीया को अपने साम्पतिक अधिकारो की घोषणा करवाने हेतु अप्रार्थी कम 3 को पक्षकार बनाया गया है जिस हेतु अप्रार्थी कम 1 को उसका संरक्षक मानते हुये नाबालिग के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है इस हेतु आर्डर 32 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पृथक से अनुमति हेतु प्रस्तुत है। प्रार्थीया ने प्रथम दृष्टया मामला ठोस तथ्यो पर आधारित करवाया है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीया के पक्ष मे है यदि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजियात को रहन बैचान कर दिया तथा वादी को उक्त आराजी से बैदखल कर दिया गया तो प्रार्थीया का वाद पत्र पेश करना ही बैकार हो जावेगा तथा प्रार्थीया को अपूर्णनीय क्षति पूर्ति जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है इसलिये ताफैसला वाद पत्र प्रार्थीया के पक्ष में अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना विधि संगत एवं न्यायहित मे होगा। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगे। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया के पक्ष मे अप्रार्थी क्रम 1 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की चरण क्रम 1 के अ व ब भाग मे ग्राम ठूंसरा पटवार हल्का फूंसरा तहसील बारां की खाता संख्या नया 97 पुराना 89 मे वर्णित आराजियात खसरा नं0 514/278 रकबा 0.2876 हेक्टर, खसरा नं० 515/278 रकबा 0.8791 हेक्टर व खसरा नं0 517/276 रकबा 3.2571 हेक्टर व खसरा नं0 519/280 रकबा 0.7096 हेक्टर, खसरा नं0 521/377 रकबा 1.4302 हेक्टर, खसरा नं0 522/277 रकबा 0.6152 हेक्टर, खसरा नं0 523/277 रकबा 0.1385 हेक्टर कुल 7 किता कुल रकबा 7.3173 हेक्टर एवं (ब) ग्राम ठूंसरा पटवार हल्का फूंसरा तहसील बारां की खाता संख्या नया 52 पुराना 48 मे वर्णित आराजियात खसरा नं0 510/279 रकबा 4.2527 हेक्टर कुल 1 किता कुल रकबा 4.2527 हेक्टर को रहन बैचान या अन्य प्रकार से हित मुतकिल ना करें तथा प्रार्थीया उक्त आराजियात के 1/2 हिस्से आराजी से बैदखल नही करे तथा प्रार्थीया को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे तथा प्रार्थीया के कब्जेकाश्त मे किसी प्रकार का व्यवधान ना तो स्वयं करे और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें तथा अप्रार्थी क्रम 4 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि दौराने दावा उक्त आराजियात के राजस्व रिकार्ड यथास्थिति बनाये रखे तथा राजस्व रिकार्ड मे किसी प्रकार फेरबदल नही करे तथा अप्रार्थी कम 5 उक्त आराजियात से सम्बधित किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन नही करें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री अरविन्द सिंह हाडा एड0 का वकालतनामा पेश हुआ साथ ही जवाब प्रार्थना पेश किया। प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम ठूंसरा सम्वत 2071–2074 खाता संख्या नया 97 पुराना 89, नकल जमाबन्दी ग्राम ठूंसरा सम्वत 2071–2074 खाता संख्या नया 52 पुराना 48, नकल जमाबन्दी मिलान क्षेत्रफल ग्राम ठूंसरा सम्वत 2038–2057, नकल जमाबन्दी मिलान क्षेत्रफल ग्राम ठूंसरा सम्वत

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

2038–2057, नकल खतौनी बन्दोबस्त ग्राम ठूंसरा सम्वत 2015–2024, नकल खतौनी बन्दोबस्त ग्राम ठूंसरा सम्वत 2043–2046, नकल खतोनी बन्दोबस्त ग्राम ठूंसरा सम्वत 2038–2057, नकल खतोनी बन्दोबस्त ग्राम ठूंसरा सम्वत 2043–2046, नकल वैधानिक नोटिस 80 सीपीसी, पेश की गई। वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में निर्णय दिनांक 23.09.2024 मान0 न्यायालय अपर जिला सेशन न्यायाधीश, कम–1 बारां, नकल जमाबन्दी सम्वत 2015–2024 ग्राम ठूंसरा एवं नकल जमाबन्दी सम्वत् 2038–2057 ग्राम ठूसंरा पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रार्थीया का कथन है, कि वाके ग्राम ठूंसरा पटवार हल्का फूंसरा तहसील बारां की खाता संख्या नया 97 पुराना 89 मे वर्णित आराजियात खसरा नं0 514/278 रकबा 0.2876 हेक्टर, खसरा नं0 515/278 रकबा 0.8791 हेक्टर व खसरा नं0 517/276 रकबा 3.2571 हेक्टर व खसरा नं0 519/280 रकबा 0.7096 हेक्टर, खसरा नं० 521/377 रकबा 1.4302 हेक्टर, खसरा नं0 522/277 रकबा 0.6152 हेक्टर, खसरा नं0 523/277 रकबा 0.1385 हेक्टर कुल 7 किता कुल रकबा 7.3173 हेक्टर स्थित है। ग्राम ठूंसरा पटवार हल्का फूंसरा तहसील बारां की खाता संख्या नया 52 पुराना 48 मे वर्णित आराजियात खसरा नं0 510/279 रकबा 4.2527 हेक्टर कुल 1 किता कुल रकबा 4.2527 हेक्टर स्थित है। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है प्रार्थीया अप्रार्थी कम 1 व 2 की पुत्रवधु है तथा अप्रार्थी कम 3 प्रार्थीया के देवर का नाबालिग पुत्र है जिसकी संरक्षकता मुताबिक राजस्व रिकार्ड अप्रार्थी कम 1 के पास है। उपरोक्त वर्णित आराजियात प्रार्थीया व अप्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजियात है जो अप्रार्थी कम 1 व 2 को अपने पूर्वजो से प्राप्त हुई है। उपरोक्त विवादित आराजियात के मूल खातेदार धोकल सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह जी थे। जिन्हें उपरोक्त वर्णित आराजियात तत्कालीन शासको द्वारा माफी चाकरी धोडा हेतु दी गई थी। उक्त आराजियात के बन्दोबस्त से पूर्व साबिक खसरा नं0 240 रकबा 51 बीघा 2 बिस्वा खसरा नं0 314 रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 60 बीघा 1 बिस्वा थे। जिसके हाल सेटलमेन्ट अनुसार खसरा नं0 240 मिन के हाल खसरा नं0 277,278 तथा खसरा नं0, 314 के 377 कायम किये गये। उक्त आराजियात पर धोकल सिंह जी काबिज काश्त रहे तथा दिनांक 01.07.1958 को माफी रिज्युम होने के समय राजस्व रिकार्ड मे धोकल सिंह जी का नाम दर्ज रहा। धोकल सिंह जी उक्त आराजियात पर काबिज काश्त थे तथा उनकी मृत्यु उपरान्त उक्त आराजियात अप्रार्थी कम 1 के नाम राजस्व रिकार्ड खातेदारी मे दर्ज हुई। इस कारण उपरोक्त सम्पति प्रार्थीया व अप्रार्थीगण की पैत्रिक सम्पति आराजियात है। जिसमे प्रार्थीया का अपने स्व० पति के हिस्से अनुसार हित निहित है। उपरोक्त आराजियात पर अप्रार्थी कम 1 व 2 का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होने के कारण अप्रार्थी कम 1 व 2 द्वारा उपरोक्त आराजियात को अपने दोनो पुत्रो भूपेन्द्र सिंह व योगेन्द्र सिंह के मध्य बाहमी विभाजन कर

उप खण्ड अधिकारी
बारां

दोनो को अपने अपने हिस्से विभाजित कर दिये थे। तब से उपरोक्त विवादित आराजियात के 1/2 हिस्से पर प्रार्थीया के पति भूपेन्द्र सिंह काबिज काश्त रहे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात प्रार्थीया उक्त आराजियात के 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त चली आ रही है। मृत्यु उक्त विवादित आराजियात राजस्व रिकार्ड मे अप्रार्थी कम 1 व 2 का नाम दर्ज होने के कारण व प्रार्थीया के पति की मृत्यु हो जाने तथा प्रार्थीया के कोई संतान न होने के कारण अप्रार्थी कम 1 व 2 द्वारा अपनी पैत्रिक सम्पति से प्रार्थीया को मेहरूम रखने के उद्देश्य से राजस्व रिकार्ड मे अपना होने का गलत फायदा उठाकर प्रार्थीया के कब्जे काश्त की आराजियात को विधि विरूद्ध तरीके से अप्रार्थी कम 1 द्वारा अपने नाम की आराजियात अपने छोटे पुत्र योगेन्द्र सिंह के पुत्र विरांश सिंह (अप्रार्थी कम 3) के नाम नुमाईशी दान पत्र द्वारा दान कर दी गई है। उक्त दान सब रजिस्ट्रार बारां के यहाँ दिनांक 20.06.2024 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 413 मे पृष्ठ संख्या 13 कम संख्या 202403116101672 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अति० पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1453 के पृष्ठ संख्या 163 से 176 पर चस्पा किया गया है। उक्त दान पत्र विधि विरूद्ध तरीके मात्र प्रार्थीया को अपने साम्पतिक अधिकारो से वंचित करने के उददेश्य से निष्पादित करवाया गया है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि दान पत्र स्वयं को नही किया जा सकता है उक्त दान पत्र मे अप्रार्थी कम 1 द्वारा अप्रार्थी कम 3 को नुमाईशी दान पत्र किया गया है तथा अप्रार्थी कम 3 नाबालिग होने के कारण उसकी संरक्षकता भी अप्रार्थी कम 1 द्वारा ली गई है जबकि अप्रार्थी कम 3 का पिता योगेन्द्र सिंह जीवित है। इसके उपरान्त भी अप्रार्थी कम 1 द्वारा विधि विरूद्ध दान पत्र आलेखित करवाया है। उक्त दान पत्र को प्रार्थीया पैत्रिक सम्पति मे प्राप्त अपनें हक व हिस्से तक शून्य घोषित करवाने की अधिकारी एवं नालिसी है। प्रार्थना पत्र की चरण कम 1 मे ब भाग मे वर्णित आराजियात अप्रार्थी कम 2 को अपनी सास भंवर बाई से प्राप्त हुई है उक्त आराजियात भी पैत्रिक सम्पति है तथा अप्रार्थी कम 2 द्वारा अप्रार्थी कम 1 से मिलकर प्रार्थीया को अपने साम्पतिक अधिकारो से वंचित करने से राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम आयी आराजियात को खुद बुर्द करने पर आमादा है। अप्रार्थी कम 2 को पैत्रिक सम्पति को अपने हक से अधिक दान बैचान व अन्य प्रकार से मुक्तकिल करने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। वादी व अप्रार्थीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उत्तराधिकार विधि से शास्ति होते है। इस कारण प्रार्थीया उपरोक्त वर्णित आराजियात मे अपने स्वर्गीय पति के हक व हिस्से तक अपने खातेदारी की घोषणा करवाने की वैधानिक अधिकारी एवं नालिसी है। अप्रार्थी कम 1 द्वारा अपने खातेदारी की आराजियात का नुमाईशी दान पत्र दिनांक 20.06.2024 को निष्पादित करवाया है इस कारण विवादित आराजियात के भाग अ मे अंकित आराजियात पर अप्रार्थी कम 3 का नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकित हो गया है उक्त अंकन संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम व सम्पति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानो के प्रतिकूल होने के कारण प्रार्थीया उक्त आराजियात मे से अप्रार्थी कम 3 का नाम अपने हक व हिस्से तक विलोपित करवाने की

उप खंण्ड अधिकारी
बारॉं

अधिकारी एवं नालिसी है। प्रार्थीया के पति भूपेन्द्र सिंह की मृत्यु दिनांक 21.03.2024 को हो जाने तथा प्रार्थीया के कोई संतान न होने के कारण अप्रार्थी कम 1 व 2 प्रार्थीया को अपने साम्पतिक अधिकारो से वंचित करना चाहते है। अप्रार्थी कम 3 नाबालिग है जो मुताबिक राजस्व रिकार्ड अपने दादाजी भारत सिंह अप्रार्थी कम 1 की संरक्षणता मे है। चूँकि राजस्व रिकार्ड मे अप्रार्थी कम 3 का नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थीया को अपने साम्पतिक अधिकारो की घोषणा करवाने हेतु अप्रार्थी कम 3 को पक्षकार बनाया गया है जिस हेतु अप्रार्थी कम 1 को उसका संरक्षक मानते हुये नाबालिग के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है इस हेतु आर्डर 32 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पृथक से अनुमति हेतु प्रस्तुत है। प्रार्थीया ने प्रथम दृष्टया मामला ठोस तथ्यो पर आधारित करवाया है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीया के पक्ष मे है यदि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आराज़ियात को रहन बैचान कर दिया तथा वादी को उक्त आराजी से बैदखल कर दिया गया तो प्रार्थीया का वाद पत्र पेश करना ही बैकार हो जावेगा तथा प्रार्थीया को अपूर्णनीय क्षति पूर्ति जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है इसलिये ताफ़ैसला वाद पत्र प्रार्थीया के पक्ष में अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना विधि संगत एवं न्यायहित मे होगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया के पक्ष मे अप्रार्थी क्रम 1 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण ग्राम ठूंसरा पटवार हल्का फूंसरा तहसील बारां की खाता संख्या नया 97 पुराना 89 मे वर्णित एवं ग्राम ठूंसरा पटवार हल्का फूंसरा तहसील बारां की खाता संख्या नया 52 पुराना 48 मे वर्णित आराजियात को रहन बैचान या अन्य प्रकार से हित मुतकिल ना करे तथा प्रार्थीया उक्त आराजियात के 1/2 हिस्से आराजी से बैदखल नही करे तथा प्रार्थीया को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे तथा प्रार्थीया के कब्जेकाश्त मे किसी प्रकार का व्यवधान ना तो स्वयं करे और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें।

बहस अभिभाषक अप्रार्थीगण सुनी गई। बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि वर्तमान सेटलमेन्ट से पूर्व खसरा नं0 240 की रकबा 51 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं0 314 की रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा कुल 60 बीघा 1 बिस्वा जिसके वर्तमान सेटलमेन्ट के बाद नये खसरा नं. 267 रकबा 3.31 हेक्टर, खसरा नं0 277 रकबा 0.98 हेक्टर, खसरा नं0 278 रकबा 2.77 हेक्टर, खसरा नं0 280 रकबा 0.85 हेक्टर, खसरा नं0 377 रकबा 1.58 हेक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 9.49 हेक्टर है जिसका अंकन जमाबन्दी सं0 2015 से 2024 व सं0 2038 से 2057 मे दर्ज है। जो अप्रार्थी कम 1 उत्तरदाता को सीधी प्राप्त हुई है। जो पैत्रिक सम्पति नही है। अप्रार्थीगण एवं प्रार्थीया के स्वर्गीय पति के बीच कोई बाहमी विभाजन नही हुआ है और ना ही प्रार्थीया उक्त वर्णित आराजियात के किसी भाग पर काबिज है और ना ही पूर्व मे प्रार्थीया का स्वर्गीय पति काबिज था। अप्रार्थी कम 1 को अप्रार्थी कम 3 अपने पौत्र के नाम से दान पत्र करने का पूर्ण अधिकार है

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

क्योकि आराजियात पैत्रिक नही है तथा अपने पिता से विरासतन प्राप्त नही हुई हैं। बल्कि अप्रार्थी कम 1 सीधी ही प्राप्त हुई हैं और रजिस्टर्ड दान पत्र के आधार पर अप्रार्थी कम 3 के नाम से इन्तकाल खोला जा चुका है। दान पत्र को शून्य व निरस्त करने का अधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है केवल मात्र सिविल न्यायालय को ही प्राप्त हैं। प्रार्थीया किसी भी प्रकार की आराजियात अपने सास ससुर व देवर के नाबालिग पुत्र प्रतिवादी कम 3 से हक खातेदारी अधिकारो की घोषणा नही करवा सकती है। केवल मात्र अपने स्वर्गीय पति की सम्पति व आराजियात मे से ही अधिकार प्राप्त कर सकती है। नाबालिग के खातेदारी मे दर्ज भूमि को किसी भी प्रकार से खातेदारी घोषणा नही की जा सकती है। प्रार्थीया अपने सास ससुर अप्रार्थी कम 1, 2 व 3 से किसी प्रकार की आराजियात प्राप्त करने की हकदार नही है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी कम 1 व 2 के विरूद्ध न्यायालय न्यायिक मजि० महोदय बारां के यहाँ घरेलू हिसां से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत व धारा 23 (2) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमे धारा 23 (2) के तहत माननीय न्यायालय न्यायिक मजि० बारां द्वारा प्रकरण संख्या 317/2024 मे बउनवान सीमा कंवर बनाम भारत सिंह वगेराह मे निर्णय दिनांक 23.09.2024 को पारित किया गया है जिसके विरूद्ध अप्रार्थी कम 1 व 2 उत्तरदाता द्वारा माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय बारां के यहाँ अपील प्रस्तुत की हुई है जो माननीय न्यायालय जिला एवंसेशन न्यायाधीश महोदय बारां द्वारा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय कम 1 के यहाँ स्थानान्तरित कर दी गयी थी जिसमे दिनांक 23.04.2025 को माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय बारां द्वारा दिनांक 23.04.2025 को अपील प्रकरण संख्या 56/2025 बउनवान भारत सिंह वगेराह–बनाम–सीमा कंवर मे दिनांक 2304.2025 को निर्णय पारित किया गया है जो माननीय न्यायालय द्वारा मेरिट पर न्यायिक दृष्टान्त का विवेचन करते हुये किया था। माननीय उच्चतम न्यायालय श्रीमति एसबी बत्रा–बनाम–तरूण बत्रा सिविल अपील संख्या 5837/2006 में केवल मात्र प्रार्थीया साझा गृहस्थी मे मकान निवास कर सकती है अन्य सास ससुर से किसी भी प्रकार की सम्पति कृषि भूमि आदि मे अप्रार्थी कम 1 व 2 एवं 3 से मांग नही कर सकती है और अभी प्रार्थना पत्र की धारा 12 का प्रकरण माननीय न्यायिक मजि० महोदय बारां के यहाँ प्रकरण विचाराधीन है जिससे वाद पत्र मे रेस ज्युडिकेटा असर रखता है। इस कारण प्रार्थना पत्र चलनें योग्य नही है अतः काबिल खारिजी है। वर्तमान सेटलमेन्ट से पूर्व खसरा नं0 240 की रकबा 51 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं0 314 की रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा कुल 60 बीघा 1 बिस्वा जिसके वर्तमान सेटलमेन्ट के बाद नये खसरा नं.267, खसरा नं0 277, खसरा नं0 278, खसरा नं0 280, खसरा नं0 377 कुल किता 5 कुल रकबा 9.49 हेक्टर है जिसका अंकन जमाबन्दी सं0 2015 से 2024 व सं0 2038 से 2057 मे दर्ज है। जो अप्रार्थी कम 1 उत्तरदाता को सीधी प्राप्त हुई है। जो पैत्रिक सम्पति नही है व अप्रार्थी कम 3 को अप्रार्थी कम 1 द्वारा दान पत्र भी नियमानुसार उपपंजीयक महोदय बारां के यहाँ पंजीयन करवाया

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

गया है जिसके आधार पर अप्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुआ है। इस प्रकार प्रार्थीया का उक्त वर्णित आराजियात मे किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही बनता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा निरस्त फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान् सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड अनुसार ग्राम ठूंसरा पटवार हल्का फूंसरा तहसील बारां की खाता संख्या नया 97 पुराना 89 मे वर्णित आराजियात खसरा नं0 514/278 रकबा 0.2876 हेक्टर, खसरा नं0 515/278 रकबा 0.8791 हेक्टर व खसरा नं0 517/276 रकबा 3.2571 हेक्टर व खसरा नं0 519/280 रकबा 0.7096 हेक्टर, खसरा नं० 521/377 रकबा 1.4302 हेक्टर, खसरा नं0 522/277 रकबा 0.6152 हेक्टर, खसरा नं0 523/277 रकबा 0.1385 हेक्टर कुल 7 किता कुल रकबा 7.3173 हेक्टर स्थित है। ग्राम ठूंसरा पटवार हल्का फूंसरा तहसील बारां की खाता संख्या नया 52 पुराना 48 मे वर्णित आराजियात खसरा नं0 510/279 रकबा 4.2527 हेक्टर कुल 1 किता कुल रकबा 4.2527 हेक्टर स्थित है। खतोनी बन्दोबस्त नकल जमाबन्दी ग्राम ठूसरां सम्वत 2015–2024 खसरा नम्बर 240 व 314 एवं नकल जमाबन्दी ग्राम ठूसरां सम्वत 2038–2057 अनुसार उक्त आराजियात पर धोकल सिंह जी काबिज काश्त रहे तथा दिनांक 01.07.1958 को माफी रिज्युम होने के समय राजस्व रिकार्ड मे धोकल सिंह जी का नाम दर्ज रहा। उनके बाद अप्रार्थीक्रम 1 के नाम दर्ज हुई है। जो पैत्रिक सम्पति प्रतित होती है। पैत्रिक सम्पति में प्रार्थीया के पति का अधिकार निहित है तथा पति के मृत्यु के बाद प्रार्थीया का अधिकार होने के कारण अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। अप्रार्थी क्रम 01 व 2 पैत्रिक सम्पति से अपने हिस्से की दान एवं बेचान कर सकता है। अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान करने का कोई अधिकार नही है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके की उक्त आराजियात अप्रार्थी क्रम 1 की स्वःअर्जित भूमि हो।

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड अनुसार अप्रार्थी क्रम 1 भारत सिंह को खतोनी बन्दोबस्त नकल जमाबन्दी ग्राम ठूसरां सम्वत 2015–2024 खसरा नम्बर 240 व 314 एवं नकल जमाबन्दी ग्राम ठूसरां सम्वत 2038–2057 अनुसार उक्त आराजियात पर धोकल सिंह जी काबिज काश्त रहे तथा दिनांक 01.07.1958 को माफी रिज्युम होने के समय राजस्व रिकार्ड मे धोकल सिंह जी का नाम दर्ज रहा। उनके बाद अप्रार्थीक्रम1के नाम दर्ज हुई। जो पैत्रिक सम्पति प्रतित है। पैत्रिक सम्पति में प्रार्थीया के पति का अधिकार निहित है तथा पति के मृत्यु के बाद प्रार्थीया का अधिकार होने के कारण अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। अप्रार्थी क्रम1 द्वारा ग्राम ठूंसरा पटवार हल्का फूंसरा तहसील बारां की खाता संख्या नया 97 पुराना 89 मे वर्णित आराजियात कुल 7 किता कुल रकबा 7.3173 हेक्टर अप्रार्थी क्रम 3 को दिनांक 20.06.2024 को जर्ये दान पत्र कर दिया गया है। चुकि उक्त संपूर्ण आराजियात पैत्रिक सम्पति प्रतित होती है। जिसमें प्रार्थीया का हक व

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

हकूक निहित है। इसलिए प्रथम दृष्टयां मामला ठोस तथ्यों के आधारं पर पेश किया गया है, जो प्रार्थीया के पक्ष मे है।

2. सुविधा का संतुलन :–मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार उक्त संपूर्ण आराजियात पैत्रिक सम्पति प्रतित होती है। जिसमें प्रार्थीया का हक व हकूक निहित है। प्रार्थीया उक्त विवादित आराजियात पैत्रिक सम्पति प्रतित होने के कारण अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। विवादित आराजियात का अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष है।

3. अपूर्णनीय क्षति :– विवादित आराजियात को अप्रार्थीगण क्रम 01 व 2 पैत्रिक सम्पति से अपने हिस्से को ही दान एवं बेचान कर सकता है। अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान करने का कोई अधिकार नही है। यदि अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 मूल वाद के निर्णय होने से पहले ही विवादित आराजियात का अप्रार्थीगण द्वारा दान एवं बेचान कर दिया गया तो प्रार्थीया को अपूर्णनीय क्षति होगी। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम ठूंसरा तहसील बारां की खाता संख्या नया 97 पुराना 89 खसरा नं0 514/278, खसरा नं० 515/278, खसरा नं0 517/276, खसरा नं0 519/280, खसरा नं0 521/377, खसरा नं0 522/277, खसरा नं0 523/277 कुल किता 7 कुल रकबा 7.3173 हेक्टर एवं ग्राम ठूंसरा की खाता संख्या नया 52 पुराना 48 खसरा नं0 510/279 रकबा 4.2527 हेक्टर भूमि में अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 3 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक पाबन्द किया जाता है, कि उक्त आराजियात के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावें तथा रहन, बेचान खुर्द–बुर्द या अन्य किसी भी प्रकार की मुन्तकिल नही करें तथा प्रार्थीया के पक्ष में किसी प्रकार की मदालखत न तो स्वयं उत्पन्न करे न अपने किसी प्रतिनिधी से करावें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वजीत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं